छत्तीसगढ़ के बस्त क्षेत्र में औद्योगिक विकास की प्रासंगिकता

*डॉ. महेश श्र्ाीवास्तव

1 नवंबर सन् 2000 को अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य लगभग 2000 से अधिक गांव का प्रदेश है। यहां 79 प्रतिशत जनसंख्या कृषि व्यवसाय अथवा इससे संबंधित उद्योग से जुड़ी हुई हैं, इनमें 51 प्रतिशत किसान सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। सिंचाई की सुविधाओं की कमी एवं मिट्टी में उर्वरकता की कमी के कारण इनके द्वारा (अधिकांशतः) वर्ष में एक फसल ली जाती है जिससे मुश्किल से इनके परिवार का जीवनयापन संभव हो पाता है। इससे भी चिंतकजनक स्थिति उन लघु सीमांत कृषक परिवारों की है जिनकी आबादी प्रदेश में लगभग 21 प्रतिशत है। ये परिवार पूरक आमदनी हेतु सरकार द्वारा संचालित रोजगार या स्वरोजगार कार्यक्रमों पर आश्रित हैं अथवा प्रतिवर्ष अस्थायी रूप से रोजगार हेतु पलायन करने को विवश हैं कमोवेश यही स्थिति खेतीहर मजदूरों की भी है।

राज्य में मात्र 28 प्रतिशत कृषकों के पास विपणन योग्य खाद्यान्न होता है जिसे वे, कृषि उपज मंडियों में समर्थन मूल्यों पर अपना उत्पाद बेच सकते हैं परंतु फिर भी उन्हें अन्य देशों की तुलना में कृषि उपज का मूल्य कम प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जापान की मुख्य फसल धान को किसान से 132 रूपये किलोग्राम की दर से खरीदा जाता है जबकि भारत में एक किसान को अपने उत्तम धान का 10 रूपये प्रति किलो मूल्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जापान की कुल राष्ट्रीय आय में का योगदान 5 प्रतिशत है तथा कृषि पर कुल 4 प्रतिशत जनशक्ति आश्रित है एवं वहां प्रति व्यक्ति आय 45000 डालर है। जनवादी चीन ने सबसे पहले अपना विकास माडल कृषि को आधार बनाकर तैयार किया था जिसमें कम्यून की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी किन्तु 1978 के बाद चीन ने औद्योगिकीकरण पर ध्यान देना आरंभ किया। नये आर्थिक सुधारों के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजीकरण एवं संयुक्त उपकमों का बढ़ावा देना प्रारंभ किया गया। आज जनवादी चीन में कुल राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान यदि 58 प्रतिशत है तो उद्योगों में 58 प्रतिशत लोगों को रोजगार भी मिला है।

2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की आबादी 1306673 है जहां ग्रामीणों की संख्या 1176652 है जबकि शहरी आबादी मात्र 130021 है इसी प्रकार यहां आदिवासियों की संख्या कुल आबादी में 66.31 प्रतिषत है। यह जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। बैलाडीला लौह अयस्क परिसर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 110 किलोमीटर दूर स्थित है जो पुरी तरह जंगलों तथा लौह अयस्क पर्वत माला से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय खनन विकास प्रधिकरण (NMDC) की स्थापना के साथ ही यहां लौह अयस्क उत्खनन का कार्य तेजी से प्रारंभ हुआ एवं यह क्षेत्र उसी रफ्तार से औद्योगिक नगर के रूप में उभरकर सामने आया है यहां के लौह अयस्क अपनी गुणवत्ता हेतु विश्व प्रसिद्ध हैं लेकिन दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां इस उच्च क्वालिटी के लौह अयस्क हेतु आवश्यकता अनुरूप किसी स्पास संयत्र की स्थापना नहीं हो सकी है अतः वर्षों से यहां के लौह अयस्क विशाखापटनम के बंदरगाह से जापान निर्यात किये जाते रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक अपूर्णीय राष्ट्रीय क्षति है इसे विडंबना ही कहना चाहिए कि जिस जापान को हम लौह अयस्क मिट्टी के मूल्य बेच रहे हैं वहीं से हम इस्पात सोने के मूल्य खरीद रहे हैं।

वर्षों से इस संबंध में चिंतन मनन करने के पश्चात् अंतः एक गैरसरकारी प्रयास ने इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की एवं जगदलपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर लोहांडीगुड़ा नामक स्थान में क्षेत्र के टाटा इस्पात संयंत्र की स्थापना को सरकारी हरी झंडी मिल गई। प्रस्तावित स्पात उद्योग की स्थापना हेतु प्रारंभिक सरकारी कार्यवारी प्रारंभ हो चुकी है। चूंकि स्पात संयंत्र स्थापना हेतु सैकड़ों हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है अतः सरकारी भूमि के अलावा निजी किसानों से भी उनकी भूमि अधिग्रहण के बदले उन्हें उचित मुआवजा दिया जाने संबंधी कार्यवारी प्रारंभ हो चुकी है साथ ही पहरवार के सदस्य को रोजगार उपलब्ध किये जाने की बात कही गई हैं। यहां के निवासी जो अधिकांशतः आदिवासी हैं को, अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ेगा और वे विस्थापन के शिकार होंगे जिसे विस्थापित मजदूर (माइग्रेट लेवर) कहा जायेगा। ये विस्थापित होने वाले लोग आपतौर पर कृषि पृष्ठभूमि वाले हैं इनमें दो प्रकार की श्रेणियां हैं जमीन वाले आदिवासी एवं भूमिहीन आदिवासी इनमें से अधिकांश तो भूमिहीन मजदूर तथा गरीब किसान हैं। भूमिहीन एवं गरीब आदिवासियों तथा अन्य स्थानीय कुशल लोगों के मामले में विस्थापन के निम्न कारण को सकते हैं—

(अ) भूमिहीनता, (ब) खेती के लिए अपर्याप्त जमीन,
(स) खेती एवं परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन की कमी, (द) गांव में नियमित काम का अभाव, (घ) गरीबी

लेकिन गाँवों में पर्याप्त भूमि रखने वाले विस्थापितों को मजदूर बनने के कारण ये हो सकते हैं।

(1) आधुनिक जीवन के प्रति रूझान (2) मौद्रिक अर्थव्यवस्था के प्रति निरंतर बढ़ती समझ (3) इस्पात संयंत्र परिसर में काम कर गांव में महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित बनने की लालसा (4) खेती के स्थान पर स्थाई नौकरी की ईच्छा (5) आर्थिक समृद्धि के लिए मित्रों के बीच प्रतियोगिता (6) खेती की जरूरत पुरी करने तथा उन्नत कृषि हेतु पैसे की व्यवस्था।

औद्योगीकरण के प्रभाव

भारत के अन्य औद्योगिक नगरों के अध्ययन से पता चलता है कि विस्थापित मजदूर बनने से यहां के लोगों को कई तरह से लाभ होगा। इससे इनकी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही उनके परिवार की सामाजिक हैसीयत भी उंची होगी खेती या अन्य परंपरागत व्यवसार के मुकाबले औद्योगिक परिसर में काम से होने वाली आय अधिक होगी इसके अतिरिक्त वहां मजदूरी वस्तु के बजाय नगद रूप में मिलेगी। औद्योगीकरण से आदिवासी मजदूर पैसे के महत्व को पहचानने वाले शहरियों में शमिल हो सकेगा जबकि यह चेतना आज तक केवल शहरी मजदूरों के लघु संसार तक ही सीमित था यहां के मजदूरों द्वारा अपने गांव पैसा भेजते रहने से वहां की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकेंगी जिससे मालगुजारी तथा कर्ज की देनदारी चुकाने में आसानी होगी पैसे के प्रति जागरूकता होने की वजह से उनमें पैसे की बचत की भी आदत विकसित होगी कुछ अन्य सकारात्मक

*सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रभाव निम्न हो सकते हैं–

(1) नयी सभ्यता का उदय (2) आधुनिक शिक्षा एवं वस्त्रों के बारे में जानकारी (3) बिजली एवं संचार के साधनों से परिचय (4) रोजगार के अवसर।

अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों एवं वित्त संबंधित जानकारों के अनुसार बस्तर में इस इस्पात संयंत्र की स्थापना से राज्य के औद्योगिक विकास को एक नयी गति मिल सकेगी यह एक मील का पत्थर साबित होगा।

ऐतिहासिक अनुभव यह बताता है कि बड़े पैमाने पर नये उपकरणों के प्रयोग से समाज में नये उत्पादन संबंधों का जन्म होता है किसी देश के आर्थिक व्यवस्था की मुख्य धारा से कटा एक समाज, किसी भी उद्योग या प्रबल आर्थिक व्यवस्था के लिए मानव एवं सामग्री संसाधन का खजाना बन जाता है। किसान अपने नये मालिकों को अपनी श्रम शक्ति बेचने पर मजबूर हो जाते हैं यह वही श्रम शक्ति है जो गैर पूंजीवादी कृषि व्यवस्था में परिवर्तन ला सकती है। एक प्राक् औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पारंपरिक समाज में श्रम विलगाँव की प्रकिया अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। निश्चय ही वह समाज में विद्यमान विषमताओं से प्रभावित होती है आधुनिक उत्पादन प्रकिया में आदिवासी मजदूर की भागीदारी उपर वर्णित प्रकिया से ही सापेक्ष संबंध रखती है। इस क्षेत्र में औद्योगीकरण से कुछ गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है जिनमें–

(अ) वायु प्रदूषण, (ब) जल प्रदूषण, (स) व्यवसायिक प्रदूषण, (द) सांस्कृतिक प्रदूषण,

1. पर्यावरण प्रदूषण – (अ) वायु प्रदूषण –

इस्पात संयंत्र की स्थापना से सबसे बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण से होगा क्योंकि भारी भरकम संयंत्र की स्थापना हेतु सैकड़ों हैक्टेयर की भूमि में लगे उन पेड़ों की बली देनी होगी जिनसे इस क्षेत्र में हरियाली व्याप्त है एवं पर्यावरण संतुलन स्थापित है। इसके पश्चात् संयंत्र के स्थापना के पश्चात् इससे निकलने वाला प्रदूषित धुआ/गैस से वातावरण में प्रदूषण का खतरा और अधिक बढ़ सकता है और यह क्षेत्र भी राज्य के अन्य औद्योगिक शहरों जैसे कोरबा, रायपुर, भिलाई, रायगढ़ आदि की तरह वायु प्रदूषण के यंगुल में फंस सकता है।

औद्योगिक अध्ययन से पता चलता है कि इस्पात संयंत्र हेतु अतिरिक्त रूप से भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है जाहिर है जल की आपूर्ति इस क्षेत्र के जल स्त्रोतों से की जायेगी जिससे जल स्तर गिरने कम होने का खतरा बना रहेगा इसी प्रकार उद्योग द्वारा उपयोग पश्चात् विसर्जित की गई प्रदूषित जल से जल प्रदूषण होगा। प्रदूषित एवं जल की कमी से इस क्षेत्र की पारंपरिक अर्थव्यवस्था विशेष रूप से खेती पर इसका अनर्थकारी प्रभाव पड़ेगा। सिंचाई के अभाव में धान, सरसों, कोदो, कुटकी, मक्का आदि की फसल कुप्रभावित हो सकती है।

औद्योगीकरण अपने साथ अनेक प्रकार के अनैतिक धंधों/अपराधों को भी जन्म देता है। अपराधों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है– पारंपरिक एवं गैरपारंपरिक अपराध। आदिवासियों के पारंपरिक अपराधों में हत्या, आत्महत्या, मवेशियों की चोरी, हमला मारपीट आदि शामिल रहें हैं जबकि गैरअपराधों में सोंची समझी हत्याएं, डकैती, चोरी, जुंआ, अवैध शराब बेचना, बलात्कार आदि शामिल है। सीधे तौर पर कहा जाए तो पारंपरिक अपराध करने वाला अपराधी उसे कभी नहीं छिपाता। औद्योगीकरण से बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश इस क्षेत्र में तेजी से होगा जिससे गैर परंपरागत अपराधों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

इस्पात संयंत्र की स्थापना से स्थानीय आदिवासी समाज की परंपरागत, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रीति–रिवाज प्रभावित हो सकता है। क्योंकि औद्योगीकरण से इस क्षेत्र में बाजार प्रणाली विकसित होगी जो इन आदिवासियों की समझ से परे है। आदिवासी उत्पादकों को अपने उत्पादों का उचित मुल्य नहीं मिलने के कारण वे उद्योगों में काम करने हेतु मजबूर हो सकते हैं। दूसरी ओर शहर की चमक दमक की चाहत से आदिवासी युवक युवतियों को रोका नहीं जा सकता। आस पास के गांव के युवा इसकी प्राप्ति हेतु अपने मूल स्थान को छोड़कर इस ओर पलायन करने लगेंगे, जिससे गाँवों में रिक्ता आ जायेगी। औद्योगीकरण एवं शहरीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अतः आदिवासी युवक युवतियों के शहरीकरण में शामिल हो जाने से इनमें अपने समाज व संस्कृति से अलगाँव/दुराव की स्थिति निर्मित हो सकती है, जो एक अपूर्णीय सामाजिक–सांस्कृतिक क्षति है।

जिन आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होता है वहां गैर आदिवासियों की आवादी तेजी से बढ़ती है, जो कालांतर में चतुर संगठित शक्तियों के रूप में उभरकर आते हैं तथा इस क्षेत्र के आदिम समाज के अजीविका के पारंपरिक स्त्रोत (भूमि) से इन आदिवासियों को बेदखली की प्रकिया को तेजी से अंजाम देने लगते हैं इस प्रकिया में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों की ओर तेजी से हस्तांतरित होने लगती है इनमें वैद्य हस्तांतरण कम और अवैध हस्तांतरण अधिक होने लगता है नतीजतन भूमिहीन आदिवासियों, मजदूरों की संख्या में तेली से वृद्धि होने लगत्ती है। भू–संकमण की चपेट में औद्योगिक शहर के चारों ओर दो चार किलोमीटर की परिधि अत्यधिक प्रभावित रहते हैं ऐसे समय भू–माफियाओं का आगमन विस्तार एवं उनके अवैध कृत्यों में तेजी से इजाफा होता है एवं अपराध को बढ़ावा मिलता है।

खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में लौह अयस्क के दोहन हेतु औद्योगीकरण विशेष रूप से इस्पात संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता वर्षों से महसूस की जाती रही है इस संबंध में निजी क्षेत्र के अंतर्गत टाटा घराने द्वारा इस्पात संयंत्र की स्थापना के प्रयास निश्चित् ही स्वागत योग्य हैं लेकिन यदि यह शासकीय उपकम (भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई की तरह) होता तो कहीं ज्यादा अच्छा होता क्योंकि निजी क्षेत्र के उद्योग स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप नहीं वरन् अपनी आवश्यकतानुसार कार्य करेंगी उन्हें क्षेत्र के विकास से ज्यादा चिंता अपने विकास की होती है। उनके कार्य के तरीके नियम शर्तें व संसाधनों का दोहन आदि अपने नियमानुकूल से होंगे। अन्य शब्दों में औद्योगीकरण की सारी बुराईयां उभरकर सामने आ सकती है, जिसकी आशंका निजी कंपनियों से की जा सकती है। अतः शासन व इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इस संबंध सतर्क रहकर फूंक–फूंक कर कदम रखना होगा जिससे इस क्षेत्र एवं यहां के निवासियों विशेषकर आदिवासियों को शोषण से बचाया जा सके। तभी इस क्षेत्र एवं राज्य के विकास के सपनों को साकार किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. रामशरण जोशी, आदिवासी समाज व शिक्षा, ग्रंथ शिल्पी, 2004
2. डॉ. हनुमंत, छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर, यादव, दैनिक भास्कर, 15.12.07